उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 9 अंक 1 1-15 जनवरी 2026 ₹ 20/-

महाराष्ट्र निकाय चुनावों में भाजपा नीत महायुति गठबंधन की शानदार जीत

- जम्मू-कश्मीर में मस्जिदों और मदरसों की कड़ी निगरानी
- अमेरिका द्वारा पाकिस्तान सहित 75 देशों के वीजा पर रोक
- ईरान में विस्फोटक स्थिति
- अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर के खिलाफ चार्जशीट

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–79687620

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

महाराष्ट्र निकाय चुनावों में भाजपा नीत महायुति गठबंधन की शानदार जीत 04
उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत न मिलने की आलोचना 07
अल–फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल 11
जम्मू–कश्मीर में मस्जिदों और मदरसों की कड़ी निगरानी 12
पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारी शुरू होते ही तब्लीगी जमात सक्रिय 15

विश्व

अमेरिका द्वारा पाकिस्तान सहित 75 देशों के वीजा पर रोक 17
बांग्लादेश में जमात–ए–इस्लामी और छात्र नेताओं के बीच गठबंधन 19
पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच संयुक्त रक्षा समझौता 21
भारत में तालिबान द्वारा अपने राजदूत की नियुक्ति 23
जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ 24

पश्चिम एशिया

ईरान में विस्फोटक स्थिति 26
सूडान में युद्धविराम भंग 30
यमन के प्रधानमंत्री का त्यागपत्र 31
सीरिया में कुर्दों और सरकारी सैनिकों के बीच जंग 32
मिस्र में अवैध हज माफिया के खिलाफ कार्रवाई 34

सारांश

हाल ही में महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को शानदार सफलता मिली है। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने राज्य के 29 नगर निगमों में से 25 पर जीत दर्ज की है। इनमें देश का सबसे अमीर बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) भी शामिल है। बीएमसी पर पिछले 30 सालों से शिवसेना का कब्जा था। उर्दू अखबारों ने दावा किया है कि भाजपा ने शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में विभाजन के जो बीज बोए थे उसका उसे भारी राजनीतिक लाभ मिला है। इन चुनावों में हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) को अपेक्षा से अधिक सफलता मिली है। एआईएमआईएम के 129 पार्षद चुने गए हैं, जबकि मुसलमानों के वोट बैंक की ठेकेदार समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से सफाया हो गया है। वहीं, महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल क्षेत्र मालेगांव में नवगठित मुस्लिम पार्टी 'इस्लाम पार्टी' ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस बार बीएमसी के चुनाव में 30 मुस्लिम पार्षद चुने गए हैं।

अमेरिका ने पाकिस्तान सहित 75 देशों के नागरिकों के लिए वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है। इस सूची में अधिकांश मुस्लिम देश शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया है कि अमेरिका में आने वाले मुस्लिम देशों के नागरिक अमेरिकी संस्कृति के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। हाल ही में ट्रम्प के भारी विरोध के बावजूद कट्टर इस्लामी नेता जोहरान ममदानी अमेरिकी राज्य न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए हैं। ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर हैं। वे अपनी इस्लामी पहचान को मुखरता और गर्व के साथ प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कुरान पर हाथ रखकर न्यूयॉर्क के मेयर पद की शपथ ली है।

बढ़ती महंगाई और आर्थिक बदहाली के कारण ईरानी जनता में असंतोष की ज्वाला भड़क रही है। ईरान में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 14 लाख ईरानी रियाल तक पहुंच चुकी है। इसके कारण पूरे ईरान की अर्थव्यवस्था ठप हो गई है। ईरान में विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत व्यापारियों की हड़ताल से हुई थी, जो बाद में शासन परिवर्तन की मांग में बदल गई। ऐसा प्रतीत होता है कि ईरानी जनता इस्लाम और शरिया पर आधारित शासन व्यवस्था से तंग आ चुकी है, इसलिए वह मस्जिदों और दरगाहों को भी निशाना बना रही है। ईरान की खामेनेई सरकार सेना और पुलिस की सहायता से इस जनाक्रोश को कुचलने का प्रयास कर रही है। ईरान सरकार ने स्वीकार किया है कि इन विरोध प्रदर्शनों में तीन हजार से अधिक लोग मारे गए हैं। जबकि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इन विरोध प्रदर्शनों में 25 हजार से अधिक लोग मारे गए हैं। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के बाद विशेष अदालतों द्वारा उन्हें फांसी पर लटकाने का सिलसिला जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने धमकी दी है कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतारने का सिलसिला बंद नहीं हुआ तो वे अपनी सेना को ईरान पर हमला करने का आदेश दे देंगे। उर्दू अखबारों का दावा है कि ट्रम्प ईरान की इस्लामी सरकार का तख्ता पलटकर निर्वासित युवराज रेजा पहलवी को देश का बादशाह बनाना चाहते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि भारत का उर्दू प्रेस खामेनेई की तानाशाही का खुलकर समर्थन कर रहा है। ■

महाराष्ट्र निकाय चुनावों में भाजपा नीत महायुति गठबंधन की शानदार जीत

एतेमाद (17 जनवरी) के अनुसार भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में से 25 पर जीत दर्ज की है। जबकि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव में 30 मुस्लिम उम्मीदवार सफल हुए हैं।

उर्दू टाइम्स (17 जनवरी) के अनुसार महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, शरद पवार और अजित पवार को भारी झटका लगा है। वहीं, समाजवादी पार्टी का भी निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। नवगठित इस्लाम पार्टी ने मालेगांव नगर निगम की 84 सीटों में से 35 सीटों पर जीत दर्ज की है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) को 21 सीटें मिली हैं। जबकि शिवसेना (शिंदे गुट) ने 18, समाजवादी पार्टी ने पांच, कांग्रेस ने तीन और भाजपा ने दो सीटों पर जीत दर्ज की है।

भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने जिन 25 नगर निगमों में जीत दर्ज की है उनमें मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपुर, नवी मुंबई, नासिक, सोलापुर, पिंपरी-चिंचवाड़, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड-वाघाला, जालना, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापुर, पनवेल, उल्हासनगर, धुले, जलगांव, अहिल्यानगर, इचलकरंजी, मीरा-भयंदर और सांगली-मिरज-कुपवाड़ आदि शामिल हैं। महायुति गठबंधन ने बीएमसी के चुनाव में 118 सीटों पर जीत दर्ज करके पूर्ण बहुत हासिल कर लिया है। इनमें से भाजपा ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की है। जबकि शिवसेना (शिंदे गुट) ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके मुकाबले में उद्धव ठाकरे की पार्टी को 65 और राज ठाकरे की पार्टी को छह सीटों पर सफलता मिली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने इन चुनाव परिणामों को ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 30 सालों से बीएमसी पर ठाकरे परिवार का कब्जा था। महायुति की इस जीत ने ठाकरे परिवार के वर्चस्व को समाप्त कर दिया है।

बीएमसी चुनावों में 30 मुस्लिम पार्षद भी चुने गए हैं। इन चुनावों में कांग्रेस के 13, एआईएमआईएम के सात, एनसीपी (अजित पवार

जनता पार्टी - महाराष्ट्र

गुट) के तीन, शिवसेना (यूबीटी) के तीन, समाजवादी पार्टी के दो और शिवसेना (शिंदे गुट) के दो मुस्लिम उम्मीदवार निर्वाचित हुए हैं।

एतेमाद (17 जनवरी) के अनुसार महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों में एआईएमआईएम के 129 पार्षद सफल हुए हैं। पार्टी ने छत्रपति संभाजीनगर में सबसे ज्यादा 33 सीटों पर जीत दर्ज की है। जबकि मालेगांव में 21, अमरावती में 15, नांदेड़-वाघाला में 14, धुले में 10, मुंबई में आठ, सोलापुर में आठ, नागपुर में सात, ठाणे में पांच, अकोला में तीन, जालना में दो, अहिल्यानगर में दो और चंद्रपुर में एक सीट पर जीत दर्ज की है।

एतेमाद (18 जनवरी) के अनुसार एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी की जीत को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम किसी विशेष संप्रदाय की पाटी नहीं है। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों में एआईएमआईएम के टिकट पर कई हिंदू उम्मीदवार भी निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां एआईएमआईएम को भाजपा की 'बी टीम' करार देकर उस पर निशाना साधती हैं। ओवैसी ने कहा कि हमारी पार्टी न तो भाजपा का समर्थन करेगी और न ही विपक्षी इंडिया गठबंधन से ही कोई संबंध रखेगी।

हिंदुस्तान (17 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि किसी ने भी यह आशा नहीं की थी कि विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना (शिंदे गुट) की आंधी में उड़ जाएगी। कभी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, नागपुर, पुणे, नासिक और छत्रपति संभाजीनगर जैसे शहर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गढ़ माने जाते थे, लेकिन अब इन क्षेत्रों से उनका सफाया हो गया है। समाचारपत्र ने कहा है कि इन चुनाव परिणामों का असर आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। इससे पहले किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि मुंबई से शिवसेना का सफाया हो जाएगा।

हिंदुस्तान (18 जनवरी) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि पिछले एक दशक में हुए सभी छोटे-बड़े चुनावों में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का शक जताया गया है। भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों की एकपक्षीय जीत से यह महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है।

चुनाव आयोग निष्पक्षता और ईमानदारी से चुनाव करवाने में विफल रहा है। हैरानी की बात है कि लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद राज्य विधानसभा के चुनाव में भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों को शानदार सफलता मिली है। यह चौंकाने वाली बात है कि सिर्फ छह महीने में ही राज्य के मतदाताओं के रूझान में भारी बदलाव कैसे आ गया?

हमारा समाज (19 जनवरी) ने अपने संपादकीय में महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव परिणामों को मुसलमानों के लिए निराशाजनक बताया है। समाचारपत्र ने कहा है कि हालांकि, एआईएमआईएम एक ताकत बनकर उभरी है, लेकिन मुसलमानों का प्रबुद्ध वर्ग यह महसूस करता है कि सत्तारूढ़ दल भाजपा के इशारे पर एआईएमआईएम ने मुसलमानों के वोट विभाजित करने में अहम भूमिका निभाई है। इसका नतीजा यह हुआ कि इन चुनावों में कांग्रेस, एनसीपी व समाजवादी पार्टी जैसे सेक्युलर दलों का सफाया हो गया, जिसका सीधा लाभ भाजपा को मिला। हकीकत तो यह है कि मुसलमान देश की राजनीति में बड़ी तेजी से हाशिए पर चले जा रहे हैं। वे लगातार अपने राजनीतिक अस्तित्व को कमजोर करते जा रहे हैं। अब समय आ गया है कि मुसलमान अपने गिरेबान में झांकें और कोई रणनीति बनाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम राजनीति में सिर्फ तमाशाई बनकर रह जाएंगे।

अखबार-ए-मशरिक (18 जनवरी) ने कहा है कि भाजपा की सफल चुनावी रणनीति के कारण विपक्षी दलों के वोटों में भारी विभाजन हुआ है। इन चुनावों में चाचा-भतीजे के एक साथ आने के बावजूद एनसीपी का लगभग सफाया हो गया है। भाजपा ने महाराष्ट्र के दो विपक्षी दलों शिवसेना और एनसीपी में जो विभाजन करवाया था उससे वह महाराष्ट्र में एक मजबूत ताकत के रूप में उभरी है। समाचारपत्र ने कहा है कि विपक्षी दलों के एकजुट नहीं होने के कारण उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है।

सियासत (17 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि भाजपा पहली बार देश के सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी पर कब्जा करने में सफल रही है।

एतेमाद (18 जनवरी) ने कहा है कि कभी समाजवादी पार्टी मुंबई की मुस्लिम राजनीति का मुख्य केंद्र थी। अब वह सिर्फ दो सीटों पर सिमटकर रह गई है। इन चुनाव परिणामों पर कथित सेक्युलर पार्टियों को सोचना चाहिए कि देश में भाजपा जैसी सांप्रदायिक पार्टी का महत्व क्यों बढ़ रहा है?

इंकलाब (18 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इन चुनावी नतीजों में कांग्रेस का सफाया हो गया है और शिवेसना का दबदबा खत्म हो गया है। इस जीत का पूरा श्रेय भाजपा की रणनीतिक कुशलता को जाता है, जिसने हर हथकंडे का इस्तेमाल करके शिवसेना और एनसीपी में विभाजन करवा दिया। सवाल यह है कि क्या अब सेक्युलर पार्टियों के लिए कोई अवसर बचा है या उनकी जमीन हमेशा के लिए खिसक चुकी है? हालांकि, कांग्रेस पार्टी को कुछ सीटें जरूर मिली हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान को यह सोचना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में शानदार सफलता के बावजूद राज्य विधानसभा और नगर निकाय चुनावों में उसकी असफलता का क्या कारण है?

■

उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत न मिलने की आलोचना

इंकलाब (6 जनवरी) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली दंगों के अभियुक्त उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका को रद्द कर दिया है। बता दें कि ये दोनों 2020 से ही जेल में बंद हैं। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने दिल्ली दंगों के पांच अन्य अभियुक्तों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि उमर खालिद और शरजील इमाम इस आदेश के एक साल बाद या गवाहों की छानबीन पूरी होने के बाद जमानत की याचिका फिर से दायर कर सकते हैं। खालिद के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में बहस के दौरान चिंता प्रकट की थी कि अगर उमर खालिद को जमानत नहीं दी गई तो उसे तीन साल और जेल में बिताने पड़ सकते हैं। अदालत ने कहा कि हर आरोपी की जमानत याचिका पर अलग-अलग विचार किया गया है। खालिद और इमाम का केस अन्य आरोपियों से अलग है। अदालत ने कहा कि सबूतों की शुरुआती जांच से पता चलता है कि खालिद और इमाम दिल्ली दंगों की योजना बनाने में शामिल थे।

दिल्ली पुलिस के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील में कहा था कि दिल्ली दंगे पूर्वनियोजित थे। उन्होंने कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम के भाषणों से साफ है कि वे इस देश की एकता को खंडित करना चाहते थे। दिल्ली पुलिस ने यह भी दावा किया था कि ये दोनों अभियुक्त देशद्रोही हैं, क्योंकि इन्होंने हिंसा के जरिए निर्वाचित सरकार का तख्ता पलटने की साजिश की थी। हालांकि, अदालत ने दिल्ली दंगों के पांच अभियुक्तों को जमानत दे दी है, लेकिन उन पर 11 शर्तें भी लगा दी गई हैं।

1. हर अभियुक्त को दो लाख का निजी मुचलका और इतनी ही राशि के दो स्थानीय

जमानती पेश करने पर रिहा कर दिया जाएगा।

2. अभियुक्त दिल्ली में ही रहेंगे और अदालत की पूर्व अनुमति के बगैर दिल्ली नहीं छोड़ेंगे।
3. अभियुक्त अदालत में अपना पासपोर्ट जमा करेंगे और अगर उनके पास पासपोर्ट नहीं है तो वे इस संबंध में एक हलफनामा देंगे।
4. अभियुक्त अपना वर्तमान पता व ईमेल जांच अधिकारी और अदालत को उपलब्ध कराएंगे। अभियुक्त जांच अधिकारी और अदालत को एक सप्ताह पूर्व लिखित सूचना दिए बिना अपना पता या फोन नंबर नहीं बदलेंगे।
5. तमाम अभियुक्तों को सप्ताह में दो बार दिल्ली पुलिस आयुक्त कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।
6. अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी गवाह या इस केस से संबंधित अन्य व्यक्ति से संपर्क नहीं करेंगे और न ही वे इस मामले से संबंधित किसी समूह या संगठन से जुड़ेंगे।
7. अभियुक्त इस केस से संबंधित प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर कोई बयान नहीं देंगे।
8. अभियुक्त मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे और न ही किसी रैली या सभा को संबोधित करेंगे।
9. अभियुक्त किसी तरह की पोस्ट, हैंड बिल, पोस्टर या बैनर प्रचारित-प्रसारित नहीं करेंगे।
10. अभियुक्त मुकदमे में सहयोग करेंगे और हर तारीख पर अदालत में पेश होंगे।
11. अगर अभियुक्त इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी।

एक अन्य समाचार के अनुसार उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास ने अपने बेटे को जमानत न मिलने पर निराशा व्यक्त की है। उन्होंने इसे बेहद चिंताजनक और अन्यायपूर्ण बताया है। इलियास ने कहा कि हमारे वकील ने जमानत के लिए बहुत अच्छी बहस की, लेकिन अदालत ने उनके तर्कों पर विचार नहीं किया। हालांकि, 'बौद्धिक आतंकवाद' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके जमानत से इनकार किया गया है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि उनका अपराध क्या है? वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा है कि हमारा मुवक्किल देशद्रोही और आतंकवादी नहीं है। अभी तक उसे किसी भी अदालत ने सजा नहीं दी है, लेकिन उसे देशद्रोही और आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। यह उचित नहीं है। उमर खालिद ने अपनी करीबी महिला मित्र बनोज्योत्सना लाहिड़ी से बातचीत में कहा है कि अब जेल में रहना ही उसकी जिंदगी है।

इंकलाब (7 जनवरी) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने एक इंटरव्यू में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने खालिद और इमाम को जमानत न देकर गलती की है। यूएपीए के नियमों के तहत उन्हें जमानत मिलनी चाहिए थी। एक अन्य वकील संजय हेगड़े ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला सिर्फ इन दो अभियुक्तों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे एक बुनियादी सवाल पैदा होता है कि क्या लोकतंत्र में किसी को विपरीत राय रखने का अधिकार है या नहीं?

हमारा समाज (7 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इस पूरे मामले का सबसे खौफनाक पहलू यह है कि अब अदालतें भी उस खेल का हिस्सा बनती जा रही हैं, जो सांप्रदायिक सरकार के इशारे पर खेला जा रहा है। यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि उमर खालिद और शरजील इमाम मुसलमान हैं। मोदी सरकार के शासनकाल में अगर कोई मुसलमान अपनी जुबान खोलता है या विरोध प्रकट करता है तो सरकार उसे फौरन साजिश, देशद्रोह और देश को टुकड़े-टुकड़े करने वाला घोषित कर देती है। इस राजनीति ने भारतीय मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है। यही कारण है कि अब मोदी सरकार की नीति देश की सीमाओं से निकलकर अंतरराष्ट्रीय बहस का केंद्र बन चुकी है। अब दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उमर खालिद और उसके साथियों के समर्थन में आवाजें उठने लगी हैं।

समाचारपत्र ने कहा है कि अजीब बात है कि जो सरकार सर्वशक्तिमान होने का दावा करती है वह कुछ छात्रों और उनके द्वारा उठाए गए सवालों से भयभीत नजर आती है। यही कारण है कि अब उमर खालिद और शरजील इमाम का मामला एक कानूनी समस्या नहीं रहा है। यह सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल और बहुसंख्यकवाद का प्रतीक बन चुका है, जो मुसलमानों के अधिकारों को कुचलना चाहते हैं। अगर खालिद और इमाम को जमानत मिल जाती तो यह सरकार की नीति की विफलता का सबूत बनती, इसलिए अब उन्हें जेल में रखकर दुनिया को यह संदेश दिया जा रहा है कि सरकार से सवाल पूछने की कीमत क्या होती है। आज भारत में लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने तक सीमित हो चुका है। अभिव्यक्ति की आजादी और सरकार के खिलाफ आवाज उठाना एक अपराध बना दिया गया है।

उर्दू टाइम्स (13 जनवरी) ने अपने संपादकीय में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि अदालत सरकार के हाथों में खेल रही है। इससे देश का लोकतंत्र और संविधान में जनता का बुनियादी अधिकार खतरे में पड़ गया है। समाचारपत्र ने अदालत द्वारा गुलफिशा फातिमा समेत अन्य अभियुक्तों की जमानत पर लगाई गई शर्तों का उल्लेख करते हुए कहा है कि अब भले ही ये अभियुक्त जेल से बाहर रहेंगे, लेकिन उनकी जिंदगी जेल से भी बदतर होगी। उनकी आवाज, सोच और अधिकारों को हमेशा के लिए एक अदृश्य कैद में डाल दिया गया है। सवाल यह है कि अदालत ने किस दबाव में ये कड़ी शर्तें लगाई हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि जमानत का मूल सिद्धांत है कि आरोपी को

तब तक बेगुनाह माना जाए जब तक उसके खिलाफ आरोप साबित न हो जाए और मुकदमे का फैसला आने तक आरोपी को पूरी आजादी के साथ जिंदगी गुजारने का अधिकार मिले। जमानत के नाम पर इस तरह की शर्तें लगाई जाती हैं तो इसका साफ मतलब है कि आरोपियों के लिए अब यह देश खुली जेल में बदल चुका है।

मुंबई उर्दू न्यूज (6 जनवरी) ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि अदालत के इस फैसले से दुनियाभर के न्यायप्रिय लोगों को गहरा झटका लगा है। जमानत हासिल करना हर आरोपी का कानूनी अधिकार है। आरोपियों को अनिश्चितकाल के लिए जेल में बंद रखना उनके अधिकारों का हनन है। इससे जनता को अदालत की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करने का मौका मिलता है।

हिंदुस्तान (11 जनवरी) ने कहा है कि भारत कहने को तो एक लोकतांत्रिक देश है। यहां की न्याय व्यवस्था संविधान के अनुसार चलती है। दावा तो यह किया जाता है कि संविधान और कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि समाज के एक वर्ग के लिए न्याय व बराबरी दूर-दूर तक नजर नहीं आती। अदालत के कुछ फैसलों को देखकर यह समझ नहीं आती कि हमारी न्यायपालिका किस ओर जा रही है। एक ओर, उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका ठुकरा दी जाती है। दूसरी ओर, अदालत से दोषी करार दिए जाने के बावजूद आसाराम और राम रहीम को बार-बार जमानत मिल जाती है। अदालत से सजा मिलने के बाद भी दोषियों को यह कहकर रिहा कर दिया गया कि ये लोग 'संस्कारी' है। हालांकि, वही अदालत उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर देती है। इसके उलट दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां लोकतंत्र नहीं, बल्कि इस्लामी शरिया है। वहां की अदालतों में हर व्यक्ति को न्याय मिलता है। यही कारण है कि आज भारत के लोग इन्हीं मुस्लिम देशों में जाने के लिए लालायित नजर आते हैं।

एतेमाद (13 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि यूएपीए जैसे कड़े कानूनों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। अजीब बात है कि लोकतंत्र का दावा करने वाली सरकारें आतंकवाद उन्मूलन की आड़ में इस कानून को लगातार सख्त बनाती जा रही हैं। यही कारण है कि जेलों में बंद मुस्लिम युवकों को जमानत के कानूनी अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है। हैरानी की बात है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने यूएपीए कानून को मंजूरी दी थी अब वही इसके गलत इस्तेमाल पर आवाज उठा रही है। हाल ही में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए इस काले कानून का इस्तेमाल कर रही है।

अखबार-ए-मशरिक (7 जनवरी) ने कहा है कि आज देश में हर स्तर पर सांप्रदायिकता का बोलबाला है। सत्तारूढ़ दल द्वारा मुसलमानों के खिलाफ नफरत की जो भावना भड़काई जा रही है उससे अब अदालतें भी अछूती नहीं हैं। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि मुसलमानों को देशभर में निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें मूलभूत संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। ■

अल–फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

AL FALAH UNIVERSITY

इंकलाब (17 जनवरी) के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष व चांसलर जवाद अहमद सिद्दीकी और अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ दिल्ली की एक विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। यह चार्जशीट 10 नवंबर 2025 को लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए धमाके से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर की गई है। इस चार्जशीट में सिद्दीकी और उसके परिजनों द्वारा यूनिवर्सिटी के फंड में अनियमितताओं के प्रमाण मौजूद हैं। दूसरी ओर, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) भी अल-फलाह ट्रस्ट के खिलाफ यह जांच कर रही है कि उसे आतंकवादी गतिविधियों की ज्वाला भड़काने के लिए विदेशों से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है? सरकारी सूत्रों के अनुसार सिद्दीकी के बेटे अफहाम अहमद और बेटी अफिया सिद्दीकी ब्रिटिश नागरिक हैं।

ईडी के एक उच्चाधिकारी ने कहा कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कई आतंकवादियों के गहरे संबंधों की पुष्टि हुई है, इसलिए इस संबंध में बारिकी से जांच की जा रही है। यह भी जांच की जा रही है कि फरीदाबाद के धौज गांव में स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी परिसर में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण के लिए जो धनराशि प्राप्त हुई है उसका स्रोत क्या है? इसका निर्माण एक फर्म दियाला कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने किया था। इस फर्म में सिद्दीकी के दो बच्चों के 49 प्रतिशत शेयर हैं। जबकि दो प्रतिशत शेयर एक कर्मचारी का है। इसी तरह से हॉस्टल कैटरिंग का ठेका आमला इंटरप्राइजेज को दिया गया था। इसमें सिद्दीकी की पत्नी उस्मा अख्तर का 49 प्रतिशत हिस्सा है। इसके अतिरिक्त इसमें उसके बेटे अफहाम अहमद का भी 49 प्रतिशत हिस्सा है। जांच में यह भी पता चला है कि सिद्दीकी से संबंधित एक धर्मार्थ संस्थान तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन ने दिल्ली के मदनपुर खादर में जमीन खरीदी थी। इसके लिए यूनिवर्सिटी फंड का अनुचित इस्तेमाल किया गया था। बताया जाता है कि इस ट्रस्ट का संबंध ब्रिटेन में गठित एक ट्रस्ट इन्नोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लिमिटेड से है। शुरुआत में इसमें जवाद अहमद सिद्दीकी के बेटे और बेटी का शेयर था। बाद में इसे सिद्दीकी के

NAAC
AL FALAH UNIVERSITY
AL FALAH SCHOOL
MEDICAL SCIENCES
RESEARCH CENTRE
AND HOSPITAL
L FALAH

ब्रिटेन स्थित एक करीबी सहयोगी के नाम कर दिया गया।

उर्दू टाइम्स (12 जनवरी) के अनुसार सरकार अल-फलाह यूनिवर्सिटी परिसर को जब्त करने पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि इस यूनिवर्सिटी से जुड़े एक दर्जन से अधिक लोगों को आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में इस यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉ. उमर उन नबी ने 10 नवंबर 2025 को लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर आत्मघाती धमाका किया था। इस धमाके में 15 लोग मारे गए थे। इस आतंकवादी गिरोह के सिलसिले में जम्मू-कश्मीर पुलिस और एनआईए अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें सात डॉक्टर हैं। इनमें से चार का संबंध अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पाया गया है।

बताया जाता है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने छात्रों को दाखिल करते समय यह दावा किया था वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त है। हालांकि, बाद में पता चला कि इसके प्रबंधकों का यह दावा झूठा और निराधार था। फर्जी मान्यता के आधार पर अल-फलाह ट्रस्ट ने छात्रों से धोखाधड़ी करके 415 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि वसूली थी। ईडी इस ट्रस्ट से संबंधित सभी शिक्षण संस्थानों और अन्य संगठनों के चल व अचल संपत्ति के बारे में जांच कर रही है।

समाचारपत्र का कहना है कि इसमें सबसे ज्यादा परेशानी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों को हो रही है। पहले यह विचार किया गया था कि इन छात्रों को अन्य संस्थानों में दाखिल किया जाए ताकि उनकी पढ़ाई पूरी हो सके। हालांकि, इसमें कई तकनीकी खामियां हैं, इसलिए अब सरकार यह विचार कर रही है कि इस संपत्ति को जब्त करके इसके संचालन की जिम्मेवारी किसी सरकारी अधिकारी को दी जाए ताकि इस यूनिवर्सिटी के छात्रों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए।

■

जम्मू—कश्मीर में मस्जिदों और मदरसों की कड़ी निगरानी

एतेमाद (14 जनवरी) के अनुसार जम्मू-कश्मीर में डॉक्टरों के एक आतंकवादी गिरोह की गिरफ्तारी के बाद सरकार ने मस्जिदों, मदरसों और उनसे जुड़े लोगों की कड़ी छानबीन शुरू कर दी है। नेशनल कांफ्रेंस के सांसद आगा रुहुल्लाह मेहदी और जम्मू-कश्मीर के मुस्लिम संगठन मुत्तहिदा मजलिस-ए-उलेमा ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे भारतीय संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार सरकार ने सभी ग्राम प्रधानों को एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र की मस्जिदों, मस्जिदों की प्रबंध समितियों, इमामों, मदरसों, मदरसों के अध्यापकों और मुस्लिम उलेमाओं के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएं। इस सर्कुलर के साथ एक

प्रश्नावली भी भेजी गई है। इसमें संबंधित लोगों के नाम, उनके पिता का नाम, पता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और पासपोर्ट के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी गई है। इसके अतिरिक्त संपत्ति का ब्यौरा, मोबाइल फोन का मॉडल, आईएमईआई नंबर, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर और सोशल मीडिया प्रोफाइल की जानकारी भी मांगी गई है। इस प्रश्नावली में संबंधित व्यक्ति का संप्रदाय जैसे बरेलवी, देवबंदी, हनफी या अहले हदीस के बारे में भी जानकारी मांगी गई है।

एक उच्चाधिकारी ने पुष्टि की है कि राज्य में आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। गौरतलब है कि हाल ही में आतंकवादी डॉक्टरों का जो गिरोह पकड़ा गया था उसे संगठित करने में मौलवी इरफान अहमद का हाथ था। इरफान एक मस्जिद का इमाम है। सांसद आगा रुहुल्लाह मेहदी ने कहा है कि सीआईडी, आईबी और अर्धसैनिक बल कई स्तर पर पहले से ही निगरानी कर रहे हैं। अब धार्मिक संस्थानों को अलग से निशाना बनाना एक खतरनाक संदेश भेजता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पीछे भाजपा और आरएसएस का हाथ है। मेहदी ने कहा कि ऐसा लगता है कि अब मस्जिदों के इमामों को आदेश दिया जाएगा कि उन्हें अपने खुतबे (भाषण) में क्या बोलना है और क्या नहीं।

जम्मू-कश्मीर में इस्लामी धार्मिक संगठनों के सबसे बड़े मंच मुत्तहिदा मजलिस-ए-उलेमा (एमएमयू) ने पुलिस के इस नए अभियान पर चिंता प्रकट की है। एमएमयू ने कहा है कि पुलिस मुसलमानों के धार्मिक नेताओं के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा कर रही है। यह कदम धार्मिक गोपनीयता और निजी स्वतंत्रता का हनन है। मस्जिदें धार्मिक स्थान हैं। हम मस्जिदों के मामले में किसी तरह की निगरानी और हस्तक्षेप को सहन नहीं करेंगे। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि यह फैसला उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का है। अब्दुल्ला ने कहा कि उपराज्यपाल ने इस फैसले से पहले राज्य की निर्वाचित सरकार से कोई विचार-विमर्श नहीं किया।

चट्टान (14 जनवरी) के अनुसार कश्मीर घाटी में आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस नीति' के तहत जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आदेश पर पांच सरकारी

UPENDRA DWIVEDI

कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। इनका संबंध आतंकवादी गतिविधियों से पाया गया था। बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में शिक्षक मोहम्मद इशफाक, लेबोरेटरी टेक्निशियन तारिक अहमद राह, सहायक लाइनमैन बशीर अहमद मीर, वन विभाग के कर्मचारी फारूक अहमद भट और स्वास्थ्य विभाग में चालक मोहम्मद यूसुफ शामिल थे। इन सभी आरोपियों के तार लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे इस्लामिक आतंकवादी संगठनों से जुड़े पाए गए हैं।

शिक्षक मोहम्मद इशफाक पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब के संपर्क में था। पुलिस के अनुसार अबू खुबैब ने इशफाक को 2022 में डोडा में एक पुलिस अधिकारी की हत्या करने का कार्य सौंपा था। हालांकि, हत्या को अंजाम देने से पहले ही इशफाक को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में रहते हुए वह कैदियों को कट्टरपंथी बना रहा था। जबकि तारिक अहमद राह अनंतनाग के बिजबेहरा अस्पताल में नियुक्त था। वह अपने चाचा और हिजबुल मुजाहिदीन के डिविजनल कमांडर अमीन बाबा से प्रभावित था। तारिक अहमद ने 2005 में अमीन बाबा को पाकिस्तान भागने में मदद की थी। पीएचई विभाग में लाइनमैन बशीर अहमद मीर को 2021 में गिरफ्तार किया गया था। तब उसके घर पर छापे के दौरान दो आतंकवादी मारे गए थे। वह लंबे समय से आतंकवादियों के रहने और खाने-पीने की व्यवस्था कर रहा था।

जांच के दौरान वन विभाग के फारूक अहमद भट के बारे में यह पुष्टि हुई कि उसने अपने सरकारी पहचानपत्र का गलत इस्तेमाल करके कुछ पाकिस्तानी आतंकवादियों को चेक पोस्ट से पार करवाया था। वह एक पूर्व विधायक के भी संपर्क में था। यह विधायक हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था। स्वास्थ्य विभाग में कार चालक मोहम्मद यूसुफ भी हिजबुल मुजाहिदीन के संपर्क में था। उसने आतंकवादियों को हथियार और धनराशि उपलब्ध कराया था।

चट्टान (14 जनवरी) के अनुसार भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने दावा किया है कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की स्थिति में सुधार हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि अब आतंकवादियों की नई भर्ती लगभग बंद हो चुकी है। यह राज्य की शांति व्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। एक प्रेस क्रांफ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले साल सिर्फ दो लोगों के आतंकवादी संगठनों में शामिल होने की सूचना मिली थी। जबकि सेना ने अलग-अलग कार्रवाइयों में 31 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। इनमें से 65 प्रतिशत पाकिस्तानी आतंकवादी थे। उन्होंने कहा कि 'ऑपरेशन महादेव' के दौरान पहलगाम हमले के तीन आतंकवादियों को भी मार गिराया गया। इससे आतंकवादी नेटवर्क को जबर्दस्त धक्का लगा है।

पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारी शुरू होते ही तब्लीगी जमात सक्रिय

अखबार-ए-मशरिक (5 जनवरी) के अनुसार पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के पुइनन गांव में तब्लीगी जमात के चार दिवसीय इज्तिमा का आयोजन किया गया। इस इज्तिमा में भारत के विभिन्न राज्यों के अतिरिक्त भारी संख्या में विदेशी मुसलमानों ने भी भाग लिया। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस इज्तिमा में 20 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। जबकि गैर-सरकारी सूत्रों के अनुसार इस इज्तिमा में 50 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। शांति व्यवस्था के लिए भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात थे। लोगों ने भारी ठंड के बावजूद खुले आसमान के नीचे नमाज अदा की। लाखों की संख्या में लोगों के इकट्ठे होने के कारण इस क्षेत्र के मोबाइल टावरों पर क्षमता से अधिक बोझ पड़ गया था। इसके कारण कॉलिंग और मोबाइल डाटा सेवाओं में भारी रुकावट आई। तब्लीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद कांधलवी और अन्य लोगों ने इस इज्तिमा को संबोधित किया। इसमें इस्लाम, आलम-ए-मुस्लिमीन (मुस्लिम जगत), समाज और देश के कल्याण के लिए दुआ की गई।

अखबार-ए-मशरिक (6 जनवरी) के अनुसार इस इज्तिमा में शामिल मुसलमानों ने अल्लाह से गिड़गिड़ाते हुए अपने गुनाहों की माफी मांगी। उन्होंने मुसलमानों की रहनुमाई और भलाई की भी दुआ की। मौलाना साद ने इज्तिमा को संबोधित करते हुए कहा कि मुसलमान मोबाइल का इस्तेमाल करके कुरान की तिलावत (पाठ) न करें, क्योंकि मोबाइल में नाच-गाने और अश्लील सामग्री प्रसारित होती है। उन्होंने मुसलमानों से अनुरोध किया कि वे एकजुट हों ताकि विश्व में इस्लाम की सरबुलंदी बनी रहे। जानकार सूत्रों के अनुसार इस इज्तिमा का लक्ष्य मुसलमानों की ताकत और एकता का प्रदर्शन करना था। मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल देश के विभिन्न स्थानों पर 20 इज्तिमा का आयोजन किया गया था, लेकिन हुगली में आयोजित इज्तिमा सबसे बड़ा है। हरियाणा के नूंह में आयोजित इज्तिमा में 10 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया गया था। इसके बाद एक अन्य इज्तिमा भोपाल में आयोजित किया गया। इसमें 20 लाख लोगों ने भाग लिया था।

पृष्ठभूमि: तब्लीगी जमात की स्थापना 1926 में मुजफ्फरनगर के कस्बा कांधला के एक मुस्लिम विद्वान मौलाना मोहम्मद इलियास कांधलवी ने की थी। मौलाना इलियास ने मुस्लिम शिक्षण

संस्थान दारुल उलूम देवबंद से शिक्षा प्राप्त की थी। वे इस्लाम की वहाबी विचारधारा के पोषक थे। भारत में पहला तब्लीगी इज्तिमा 1949 में भोपाल की मस्जिद शकूर खान में आयोजित किया गया था। अरबी भाषा में इज्तिमा का अर्थ इकट्ठा होना है। कहा जाता है कि तब्लीगी जमात की स्थापना आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन के जवाब में की गई थी। मौलाना इलियास ने तब्लीगी जमात की गतिविधियों की शुरुआत मेवात से की थी। इस जमात का आदर्श वाक्य है, "ऐ मुसलमानों! मुसलमान बनो।"

शुरुआती सात दशकों में इस जमात के तीन अमीर हुए हैं। ये सभी एक ही परिवार के थे। 1944 में मौलाना इलियास के निधन के बाद उनके बेटे मोहम्मद यूसुफ कांधलवी ने तब्लीगी जमात के अमीर का पद संभाला। 1965 में यूसुफ के निधन के बाद इनामुल हसन जमात के तीसरे अमीर बने। 77 वर्ष की उम्र में 1995 में इनामुल हसन का निधन हो गया। उनके निधन के बाद तब्लीगी जमात के अमीर के सवाल पर जमात में विवाद शुरू हुआ। यह विवाद मौलाना इलियास के परपोते मौलाना साद और जमात के दूसरे अमीर यूसुफ के पोते मौलाना जुबैर उल हसन के बीच शुरू हुआ। 2014 में मौलाना जुबैर उल हसन का निधन हो गया। इस पर जमात के एक बड़े हिस्से ने मौलाना साद को जमात का अमीर मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद साद के विरोधियों ने मजलिस-ए-शूरा का गठन किया और यह फैसला किया कि भविष्य में तब्लीगी जमात को मजलिस-ए-शूरा की देख रेख में चलाया जाए।

नवंबर 2015 में पाकिस्तान में लाहौर के समीप स्थित रायविंड में मौलाना साद के विरोधियों का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में इस बात की पुष्टि की गई कि भविष्य में तब्लीगी जमात के कार्य का संचालन नवगठित मजलिस-ए-शूरा के निर्देशन में किया जाएगा। इसमें 13 लोगों को मनोनीत किया गया। रायविंड के इज्तिमा के इस फैसले को मौलाना साद ने मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा कि "मैं अमीर हूं। सबका अमीर हूं। अगर तुम सहमत नहीं हो तो जहन्नुम में जाओ।" इस समय स्थिति यह है कि तब्लीगी जमात चार भागों में विभाजित हो चुका है। एक गुट का मुख्यालय पाकिस्तान के लाहौर स्थित रायविंड में है। जबकि दूसरे गुट का मुख्यालय ढाका के टोंगी में है। जबकि तीसरे गुट का संचालन नवी मुंबई के तब्लीगी मरकज द्वारा किया जा रहा है। ये तीनों गुट इस बात पर सहमत हैं कि तब्लीगी जमात का संचालन विश्व स्तर पर गठित की गई मजलिस-ए-शूरा के निर्देश पर किया जाए और भविष्य में जमात का कोई अमीर नहीं होगा।

जबकि चौथा गुट मौलाना साद का है। इस गुट का मुख्यालय दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन बस्ती में स्थित बंग्लेवाली मस्जिद में है। साद का दावा है कि वे जमात के अमीर हैं और मजलिस-ए-शूरा का गठन अवैध रूप से किया गया है। कुछ महीने पहले बांग्लादेश के टोंगी में बांग्लादेश तब्लीगी जमात और साद गुट ने अलग-अलग इज्तिमा का आयोजन किया था। इस दौरान दोनों गुटों के बीच खूनी संघर्ष भी हुआ था। इस संघर्ष में कई लोग मारे गए थे। इस घटना के बाद बांग्लादेश सरकार ने मौलाना साद को बांग्लादेश से निष्कासित कर दिया था।

तब्लीगी जमात का दावा है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी संगठन है। इसकी शाखाएं दुनिया के 140 देशों में फैली हुई हैं। इसके अनुयायियों की संख्या 8-10 करोड़ के बीच बताई जाती है। हैरानी की बात है कि सऊदी अरब समेत एक दर्जन इस्लामिक देशों ने तब्लीगी जमात की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा रखा है। ■

अमेरिका द्वारा पाकिस्तान सहित 75 देशों के वीजा पर रोक

कौमी तंजीम (16 जनवरी) के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने 75 देशों के नागरिकों के लिए वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है। इन देशों में पाकिस्तान सहित कई मुस्लिम देश शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि यह फैसला इसलिए किया गया है ताकि इन देशों से आने वाले नागरिक अमेरिकी प्रशासन द्वारा चलाई जाने वाली जन कल्याण योजनाओं का अनुचित लाभ न उठा सकें। 'फॉक्स न्यूज' के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने विभिन्न देशों में स्थित अमेरिकी दूतावासों को निर्देश दिया है कि वे इन देशों के नागरिकों को वीजा जारी करना फौरन बंद कर दें। जब तक इन देशों के नागरिकों की स्क्रीनिंग और जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा। यह फैसला 21 जनवरी से लागू होगा, जो अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा। यह प्रतिबंध सोमालिया, रूस, अफगानिस्तान, ब्राजील, ईरान, इराक, मिस्र, नाइजीरिया, थाईलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन सहित 75 देशों के नागरिकों पर लगाया गया है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमालिया के नागरिकों के लिए 'अस्थाई संरक्षित दर्जे' को समाप्त करके उन्हें अमेरिका से निष्कासित करने का आदेश दिया था। बताया जाता है कि ये लोग अमेरिकी प्रशासन द्वारा चलाई जाने वाली जनकल्याण योजनाओं का दुरुपयोग कर रहे थे।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार भारी संख्या में ईरानी नागरिक तुर्किये में प्रवेश कर रहे हैं। तुर्किये में शरण लेने वाले इन नागरिकों का संबंध ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों से बताया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान में बढ़ती महंगाई और रियाल की गिरती कीमत के कारण लोग देश छोड़ रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने नागरिकों को सुझाव दिया है कि वे तुर्किये या आर्मेनिया के रास्ते ईरान से बाहर निकल जाएं, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रम्प ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। पासदारान-ए-इंकलाब (आईआरजीसी) के प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि ईरान हर विदेशी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।

لا للصفقة
يسقط مؤتمر البحرين
يسقط .. يسقط .. يسقط ..
لا ورشة البحرين

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान से पलायन करने वाले लोग तुर्किये के पूर्वी क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। यह क्षेत्र ईरानी सीमा के नजदीक है। तुर्किये के गृह मंत्रालय ने कहा है कि इन लोगों को मानवीय आधार पर देश में आने की अनुमति दी जा रही है।

इंकलाब (14 जनवरी) के अनुसार डोनाल्ड ट्रम्प के सत्ता में आने के बाद अब तक एक लाख से अधिक विदेशी नागरिकों के वीजा रद्द किए जा चुके हैं। इनमें आठ हजार छात्र वीजा और ढ़ाई हजार विशेषज्ञ कार्य वीजा शामिल हैं। इन पर अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका की सुरक्षा को देखते हुए इन विदेशी नागरिकों के वीजा रद्द किए गए हैं। इन लोगों को जल्द ही अमेरिका से निष्कासित कर दिया जाएगा। छात्र वीजा रद्द करने का कारण यह है कि विदेशी छात्रों का रवैया फिलिस्तीन समर्थक और इजरायल विरोधी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देश में रहने वाले साढ़े पांच करोड़ वीजाधारकों की पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है।

एतेमाद (15 जनवरी) के अनुसार अमेरिकी सीनेटर मार्क वार्नर ने आरोप लगाया है कि देश में इस्लामोफोबिया के लिए ट्रम्प प्रशासन जिम्मेवार है। इसके कारण अमेरिका का वातावरण दिन-प्रतिदिन मुस्लिम विरोधी हो रहा है। उन्होंने निंदा की कि पिछले दिनों ट्रम्प ने अमेरिका में रहने वाले सोमाली मूल के नागरिकों को 'कचरा' कहा था। ट्रम्प ने कहा था कि हम सोमाली नागरिकों को अपने देश से बाहर फेंक देंगे। वार्नर ने ट्रम्प के इस बयान को घिनौना, अमानवीय और अमेरिकी संस्कृति के खिलाफ बताया है। उन्होंने अमेरिकी जनता से अपील की है कि वे ट्रम्प की मुस्लिम विरोधी नीति का डटकर विरोध करें।

सियासत (15 जनवरी) के अनुसार अमेरिका ने मिस्र, लेबनान और जॉर्डन में सक्रिय इख्वानुल मुस्लिमीन (मुस्लिम ब्रदरहुड) से जुड़े संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। समाचारपत्र के अनुसार अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने मिस्र और जॉर्डन में सक्रिय इख्वानुल मुस्लिमीन से जुड़े संगठनों को 'विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी' घोषित किया है। इसके अतिरिक्त अमेरिकी विदेश विभाग ने लेबनान में सक्रिय 'अल-जमा अल-इस्लामिया' को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये इस्लामिक संगठन हमास व हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं और इजरायल विरोधी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं।

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने इख्वानुल मुस्लिमीन पर आरोप लगाया है कि वह एक सामाजिक संगठन होने का दावा करता है, लेकिन पर्दे के पीछे वह आतंकवादी समूहों को सहायता देता है। मिस्र के इख्वानुल मुस्लिमीन के कार्यवाहक अमीर सलाह अब्देल हक ने अमेरिका के इस फैसले की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि वे इस फैसले को अमेरिकी अदालत में चुनौती देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका ने यह फैसला इजरायल के दबाव में किया है।

गौरतलब है कि इख्वानुल मुस्लिमीन की स्थापना 1928 में एक कट्टरपंथी मुसलमान हसन अल-बन्ना ने मिस्र में की थी। इसकी शाखाएं लगभग सभी अरब देशों में मौजूद हैं। इख्वान के सहयोगी संगठन 'अल-जमा अल-इस्लामिया' का लेबनानी संसद में भी प्रतिनिधित्व है। जबकि जॉर्डन में इसकी राजनीतिक पार्टी इस्लामिक एक्शन फ्रंट ने 2024 के चुनाव में 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं, मिस्र सरकार ने 2013 में ही इख्वानुल मुस्लिमीन पर प्रतिबंध लगा दिया था।

बांग्लादेश में जमात–ए–इस्लामी और छात्र नेताओं के बीच गठबंधन

उर्दू टाइम्स (4 जनवरी) के अनुसार बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमात-ए-इस्लामी और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपदस्थ करने वाले छात्र संगठन नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) के बीच गठबंधन की पुष्टि हुई है। इससे बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल को एक नई दिशा मिली है। उल्लेखनीय है कि एनसीपी का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से घनिष्ठ संबंध है। हाल ही में ढाका स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में आईएसआई का एक विशेष खुफिया प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। एनसीपी ने घोषणा की है कि वह जमात-ए-इस्लामी के साथ गठबंधन करके चुनाव में उतरेगी। बांग्लादेश में फरवरी 2026 में चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले इन संगठनों ने भारत के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है।

उल्लेखनीय है कि जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश पाकिस्तान समर्थक है। जमात-ए-इस्लामी

ने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तानी सेना का खुलकर समर्थन किया था और बांग्लादेश की स्वतंत्रता का कड़ा विरोध किया था। बांग्लादेश बनने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान ने जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया था और उसके सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया था। जब बांग्लादेश नेशनलस्टि पार्टी (बीएनपी) सत्ता में आई तो उसने जमात-ए-इस्लामी पर से प्रतिबंध हटा लिया और जेलों में बंद उसके सभी कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया। शेख हसीना के नेतृत्व में अवामी लीग के सत्ता में आने के बाद एक बार फिर से जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और एक ट्रिब्यूनल का गठन करके इसके नेताओं व कार्यकर्ताओं को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस ट्रिब्यूनल में जमात-ए-इस्लामी के कई नेताओं के खिलाफ युद्ध अपराध का मुकदमा चलाया गया और इसके कई नेताओं को फांसी पर लटका दिया गया।

जमात-ए-इस्लामी ने घोषणा की है कि वह बांग्लादेश के आगामी चुनाव में एनसीपी के साथ गठबंधन करेगी और दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। पिछले महीने एनसीपी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने मांग की थी कि ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग को बंद किया जाए, क्योंकि भारत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण दे रखी है और वह उन्हें बांग्लादेश के हवाले करने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव विश्लेषकों का कहना है कि शेख हसीना के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हिंसक प्रदर्शनों में जमात-ए-इस्लामी और आईएसआई ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। कहा जाता है कि पाकिस्तान के दबाव पर एनसीपी ने जमात-ए-इस्लामी के साथ चुनावी गठबंधन किया है। बताया जाता है कि कई छात्र नेताओं ने जमात-ए-इस्लामी के साथ एनसीपी के गठबंधन के फैसले का विरोध किया है। इसके विरोध में एक दर्जन से अधिक छात्र नेताओं ने एनसीपी से इस्तीफा दे दिया है।

बांग्लादेश के राजनीतिक विश्लेषक डॉ. मुबाशर हसन का कहना है कि इस समय बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल है। यह गठबंधन इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहता है। बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार अल्ताफ परवेज ने कहा है कि दक्षिण एशिया और दुनियाभर में जमात-ए-इस्लामी की पहचान एक कट्टर इस्लामी संगठन की रही है, जो शरिया पर आधारित सरकार चलाना चाहती है। शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद देश में भारत विरोधी माहौल बना है। आगामी चुनाव में जमात-ए-इस्लामी और उसके सहयोगी संगठनों को इसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है। वहीं, एनसीपी में शामिल कट्टरपंथी छात्र नेताओं की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इसका राजनीतिक नुकसान बीएनपी को हो सकता है।

उर्दू टाइम्स (3 जनवरी) के अनुसार बीएनपी के वरिष्ठ नेता नजरुल इस्लाम खान ने

आरोप लगाया है कि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की मौत के लिए अवामी लीग और शेख हसीना जिम्मेवार हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि शेख हसीना की सरकार ने 8 फरवरी 2018 को खालिदा जिया को जेल भेज दिया था। जेल में उन्हें ऐसा जहर दिया गया जिसके कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। इसके बावजूद उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति नहीं दी गई। यही कारण है कि उनकी मृत्यु हो गई।

हिंदुस्तान (3 जनवरी) के अनुसार यह संभावना जताई जा रही है कि शायद बांग्लादेश के आगामी चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिले, इसलिए गठबंधन सरकार के सत्ता में आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। गौरतलब है कि जमात-ए-इस्लामी 17 साल के बाद चुनाव में भाग ले रही है। पार्टी ने अंतिम बार 2001 से 2006 तक बीएनपी के साथ गठबंधन करके सरकार में हिस्सा लिया था। जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने कहा है कि वे बांग्लादेश में स्थिर सरकार चाहते हैं। इसके लिए वे किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी जियाउर रहमान से 1960 में शादी की थी। बांग्लादेश की मुक्ति के बाद खालिदा जिया जेल में रहीं। 1981 में जियाउर रहमान की हत्या के बाद उन्होंने विपक्षी नेता के रूप में बीएनपी की कमान संभाली और उनके नेतृत्व में सात पार्टियों का एक संयुक्त गठबंधन बना। इस गठबंधन ने जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद की सैन्य तानाशाही के खिलाफ अभियान चलाया। इस अभियान के कारण जनरल इरशाद को 1986 में देश की सत्ता छोड़नी पड़ी। खालिदा जिया 1991 से 1996 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं। इसके बाद वे 2001 में फिर से प्रधानमंत्री बनीं। ■

पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच संयुक्त रक्षा समझौता

एतेमाद (11 जनवरी) के अनुसार तुर्किये ने पाकिस्तान-सऊदी अरब रक्षा गठबंधन में शामिल होने की तैयारी कर ली है। अगर यह समझौता हुआ तो इससे एशिया और पश्चिम एशिया में शक्ति का संतुलन बदल जाएगा। इसके बाद इन तीनों देशों के शत्रु देशों को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। पाकिस्तान के रक्षा उत्पादन मंत्री रजा हयात हर्राज ने पुष्टि की है कि

पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच संयुक्त रक्षा समझौते की वार्ता पूरी हो गई है। इस समझौते पर शीघ्र ही हस्ताक्षर होने की संभावना है। पाकिस्तानी मंत्री ने कहा कि यह समझौता पिछले साल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए समझौते से अलग होगा।

पिछले दिनों तुर्किये के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने पुष्टि की थी कि तुर्किये की सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ संयुक्त रक्षा समझौते के संबंध में चल रही वार्ता सकारात्मक रही है। इस समझौते पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर ये तीनों देश इकट्ठे होते हैं तो इससे इस क्षेत्र के शक्ति संतुलन में नया मोड़ आएगा। इससे इस्लामिक देशों की संयुक्त सेना बनाने के प्रयासों में भी मदद मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक संयुक्त रक्षा समझौता हुआ था। इसमें यह व्यवस्था है कि अगर कोई देश इन दोनों में से किसी एक पर भी हमला करेगा तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और दोनों देश मिलकर हमलावर देश का मुकाबला करेंगे। गौरतलब है कि पाकिस्तान एकमात्र ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार हैं। उसके पास कई बैलिस्टिक मिसाइल, अत्याधुनिक तकनीक और मानव संसाधन भी है। इससे तीनों देशों को लाभ होगा। जबकि तुर्किये के पास सैन्य सामग्री बनाने का लंबा अनुभव है। उसके इस समझौते में शामिल होने से सभी इस्लामिक देशों को लाभ होगा।

बीबीसी ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्किये मिलकर युद्ध ड्रोन विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान और चीन ने मिलकर जेएफ-17 थंडर लड़ाकू विमान विकसित किए हैं। अब पाकिस्तान चीन की मदद से इन विमानों को कई देशों को बेचने का प्रयास कर रहा है। इनमें बांग्लादेश भी शामिल है। हाल ही में बांग्लादेश के वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान ने पाकिस्तान से जेएफ-17 थंडर लड़ाकू विमान खरीदने के बारे में बातचीत शुरू की थी। पाकिस्तान यह विमान अजरबैजान, म्यांमार और नाइजीरिया को बेच चुका है। जबकि इराक और लीबिया से बातचीत जारी है।

मुंसिफ (19 जनवरी) ने अपने संपादकीय में मुस्लिम देशों द्वारा नाटो के मॉडल पर इस्लामी सैन्य गठबंधन बनाने के प्रस्ताव की चर्चा करते

ISLAMIC
NATO

हुए कहा है कि अभी तक यह एक सपने जैसा है। अगर इस योजना को कार्यान्वित किया जाए तो यह आलम-ए-इस्लाम (मुस्लिम जगत) के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। दुनिया में तुर्किये के सैन्य उत्पादन का महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। जबकि पाकिस्तान इस्लामिक जगत की एकमात्र परमाणु शक्ति है और उसके सैनिकों को युद्ध करने का एक लंबा अनुभव है। अगर सऊदी अरब और खाड़ी के देश इस्लामी सैन्य गठबंधन को आर्थिक सहयोग देने के लिए तैयार हो जाएं तो इससे विश्व इतिहास एक नया मोड़ ले लेगा। हालांकि, शिया और सुन्नी देशों की आपसी होड़ के कारण मुस्लिम देश एकजुट नहीं हो पाते हैं। बड़े इस्लामिक देश भी गैर-मुसलमानों का मुकाबला करने के बजाय आपस में ही उलझ जाते हैं।

समाचारपत्र ने कहा है कि इस्लाम का दुश्मन बाहर का नहीं, बल्कि अंदर का है। यह इस्लामी जगत को एकजुट नहीं होने देता और एकता की बुनियाद रेत की तरह बिखर जाती है। खास बात यह है कि आज भी इस्लामी देश पश्चिम के ईसाई देशों पर निर्भर हैं। सऊदी अरब और खाड़ी देश अमेरिका के बंधुआ मजदूर बने हुए हैं। जबकि तुर्किये नाटो का सदस्य है। ऐसी स्थिति में नाटो के मॉडल पर इस्लामी देशों का एकजुट होना बेहद कठिन नजर आता है। अगर ईरान, मिस्र, इंडोनेशिया, मलेशिया, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और नाइजीरिया इस्लाम के आधार पर सैन्य सहयोग का समझौता कर लेते हैं तो इससे विश्व में इस्लाम का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा और मुस्लिम दुश्मन ताकतों को मुंह की खानी पड़ेगी।

भारत में तालिबान द्वारा अपने राजदूत की नियुक्ति

सियासत (14 जनवरी) के अनुसार 2021 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने के बाद से पहली बार उसने भारत में अपना एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया है। अफगान विदेश मंत्रालय के उच्चाधिकारी मुफ्ती नूर अहमद नूर ने नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास में कार्यवाहक राजदूत के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। हालांकि, भारत सरकार ने तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन इस नियुक्ति से दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों का संकेत मिलता है। नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास से जारी एक बयान के अनुसार मुफ्ती नूर अहमद नूर ने नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास में अपना कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने भारतीय विदेश मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात में भारत और अफगानिस्तान के संबंधों के विभिन्न पक्षों पर चर्चा की गई। अफगान दूतावास ने मुफ्ती नूर अहमद नूर की भारतीय विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी आनंद प्रकाश के साथ एक तस्वीर भी जारी की है। नई दिल्ली में वरिष्ठ राजनयिक की नियुक्ति तालिबान सरकार के लिए

बेहद महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है।

उल्लेखनीय है कि रूस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता दी है और उसका दूतावास काबुल में मौजूद है। हालांकि, चीन ने भी काबुल में अपना दूतावास खोल रखा है, लेकिन अभी तक उसने तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है।

उर्दू टाइम्स (1 जनवरी) के अनुसार तालिबान सरकार ने विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्यपुस्तकों सहित सैकड़ों सार्वजनिक किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्रों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। अफगानिस्तान एनालिस्ट्स नेटवर्क (एएएन) के अनुसार तालिबान सरकार ने 670 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन किताबों का संबंध मानवाधिकार, लोकतंत्र, संवैधानिक कानून, चुनाव व्यवस्था, समाजशास्त्र और नैतिक दर्शन से है। समाचारपत्र के अनुसार महिला लेखकों और ईरानी लेखकों की पुस्तकों को भी प्रतिबंधित किया गया है। अफगान अखबार 'हश्त-ए-सुबह' ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकार ने ऐतिहासिक और राजनीति से संबंधित पुस्तकों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसके कारण शैक्षणिक अनुसंधान और स्वतंत्र अध्ययन करना लगभग असंभव हो गया है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में अफगानिस्तान में 21 लाख से अधिक बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हो गए हैं। इनमें 60 प्रतिशत लड़कियां हैं। ■

जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ

एतेमाद (2 जनवरी) के अनुसार भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर अमेरिकी राज्य न्यूयॉर्क के मेयर पद की शपथ ली है। उनका कार्यकाल चार साल का होगा। वे न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर हैं। अमेरिकी न्यूज एजेंसी 'एसोसिएटेड प्रेस' के अनुसार इस अवसर पर जोहरान ममदानी ने कहा कि कुरान पर हाथ रखकर शपथ लेना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान था। उन्होंने मैनहट्टन के ऐतिहासिक सिटी हॉल सबवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सादगी से

शपथ ली है, क्योंकि वे अपनी जीत का श्रेय आम जनता (वर्किंग क्लास) को देते हैं। 'एनबीसी न्यूज' के अनुसार ममदानी ने शपथ लेते समय कुरान की दो प्रतियों पर हाथ रखा। इनमें से एक प्रति उनके दादा की थी और दूसरी न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी के शोम्बर्ग सेंटर की थी। इस अवसर पर ममदानी की पत्नी और उनके माता-पिता भी मौजूद थे। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी युगांडा में पैदा हुए थे और सात साल की उम्र में न्यूयॉर्क आए थे। ममदानी के पिता महमूद ममदानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। जबकि उनकी मां मीरा नायर मशहूर फिल्म निर्माता हैं। जोहरान ममदानी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के प्रबल विरोध के बावजूद भारी बहुमत से जीते हैं।

सियासत (2 जनवरी) के अनुसार जोहरान ममदानी न्यूयॉक के पहले मेयर हैं, जिन्होंने कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली है। हालांकि, न्यूयॉर्क के मेयर के लिए किसी धार्मिक पुस्तक पर शपथ लेना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इससे पहले कई मेयर बाइबिल पर हाथ रखकर शपथ लेते रहे हैं। ममदानी ने अपनी चुनावी सभाओं के दौरान कहा था कि वे अपनी पहचान छिपाने वालों में से नहीं हैं। वे मुसलमान हैं और इस पर उन्हें गर्व है।

अवधनामा (3 जनवरी) के अनुसार भारतीय छात्र उमर खालिद के समर्थन में ममदानी द्वारा लिखा गया पत्र विवाद का विषय बन गया है। उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास का कहना है कि उमर खालिद को जमानत न मिलने से ममदानी को मानसिक रूप से झटका लगा है। भाजपा ने ममदानी के इस पत्र पर आपत्ति जताते हुए इसे भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि एक विदेशी व्यक्ति को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने उमर खालिद को भारत को खंडित करने वाली सोच का व्यक्ति बताया।

उर्दू टाइम्स (2 जनवरी) ने अपने संपादकीय में ममदानी द्वारा कुरान पर हाथ रखकर शपथ लेने का स्वागत किया है। संपादकीय में कहा गया है कि इस समय अमेरिका में 40 लाख से अधिक मुसलमान रह रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें नफरत का सामना करना पड़ रहा है। मुसलमानों की इस्लामी पहचान के लिए खतरा पैदा किया जा रहा है। खुशी की बात है कि मुसलमानों की नई पीढ़ी अमेरिका की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर रही है। समाचारपत्र ने प्रसन्नता व्यक्त की है कि ट्रम्प के विरोध के बावजूद ममदानी अपनी इस्लामी पहचान पर डटे हुए हैं। यह घटना दुनियाभर के मुसलमानों के लिए अनुकरणीय है।

हिंदुस्तान (3 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि नया वर्ष दुनियाभर के मुसलमानों के लिए एक शुभ संदेश लेकर आया है। राष्ट्रपति ट्रम्प के प्रबल विरोध के बावजूद जोहरान ममदानी का न्यूयार्क के मेयर का चुनाव जीतना एक करिश्मा से कम नहीं है। सबसे खुशी की बात यह है कि उन्होंने न्यूयॉर्क में नए साल की शुरुआत कुरान पर हाथ रखकर शपथ लेकर की है। ममदानी ने फिलिस्तीनी जनता का खुलकर समर्थन किया है।

ईरान में विस्फोटक स्थिति

दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह से ईरान में खामेनेई सरकार का तख्ता पलटने के लिए राष्ट्रव्यापी उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरानी सेना इन प्रदर्शनों को सख्ती से कुचल रही है। ईरान में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद हैं, इसलिए वास्तविक स्थिति का अनुमान लगाना बेहद कठिन है। सेना द्वारा मारे जा रहे प्रदर्शनकारियों की संख्या के बारे में भी कोई सटीक जानकारी नहीं है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान तीन हजार से अधिक लोग मारे गए हैं। जबकि मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि मरने वालों की संख्या 20 से 25 हजार के बीच हो सकती है।

सियासत (20 जनवरी) के अनुसार अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव व युद्ध की संभावना के बीच ईरान ने अमेरिका को एक गुप्त संदेश भेजा है। इसके बाद ईरान पर अमेरिकी हमले की योजना को स्थगित कर दिया गया है। अमेरिकी अखबार 'वाशिंगटन पोस्ट' के अनुसार अमेरिका ने ईरान पर हमले की पूरी तैयारी कर ली थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस क्षेत्र में नौसेना और वायु सेना के लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ा दी थी। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने राष्ट्रपति ट्रम्प के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को एक गुप्त संदेश भेजा है। ईरान की ओर से यह संकेत दिया गया है कि सरकार गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों की सजा पर पुनर्विचार करेगी।

एतेमाद (3 जनवरी) के अनुसार 28 दिसंबर 2025 को तेहरान के व्यापारियों ने बढ़ती महंगाई और ईरानी मुद्रा रियाल के मूल्य में भारी गिरावट के खिलाफ प्रदर्शनों की शुरुआत की थी। जल्द ही यह विरोध शासन परिवर्तन की मांग में बदल गया।

सियासत (2 जनवरी) के अनुसार एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 14 लाख ईरानी रियाल तक पहुंच गई है। रियाल की गिरती कीमतों के बाद ईरानी सेंट्रल बैंक के प्रमुख मोहम्मद रजा फर्जिन ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। शुरुआत में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का रवैया नरम था और उन्होंने विदेश मंत्री अराघची को यह निर्देश दिया था कि वे प्रदर्शनकारियों के

साथ बातचीत करें ताकि समस्या का कोई समाधान निकाला जा सके। अमेरिकी प्रतिबंधों और अंतरराष्ट्रीय बाजार में रियाल की गिरती कीमतों के कारण ईरान अपना तेल नहीं बेच पा रहा है।

सियासत (11 जनवरी) के अनुसार ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों और निर्वासित ईरानी युवराज रेजा पहलवी की गतिविधियों के बाद यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ईरान की इस्लामी शासन व्यवस्था का खात्मा हो रहा है? क्या ईरान फिर से राजशाही व्यवस्था को लागू करने के रास्ते पर अग्रसर है? गौरतलब है कि ईरानी युवराज रेजा पहलवी पिछले 46 सालों से अमेरिका में रह रहे हैं। जनता के विरोध के कारण 1979 में उनके पिता मोहम्मद रेजा पहलवी को देश की गद्दी छोड़कर विदेश भागना पड़ा था। इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ लड़े गए 12 दिवसीय युद्ध और अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। इससे जनता परेशान है। यही कारण है कि ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं।

एतेमाद (12 जनवरी) के अनुसार ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों के दौरान 100 से अधिक सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। प्रदर्शनकारी विदेशी हथियारों से लैस हैं और वे सेना व पुलिस को अपना निशाना बना रहे हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि देशवासी अपने बच्चों को विदेशों की कठपुतली दंगाइयों का साथ देने से रोकें। ईरानी न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि इन प्रदर्शनों के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी एजेंटों का हाथ है। सरकारी तौर पर सेना द्वारा मारे जाने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या तीन हजार से अधिक बताई जा रही है। जबकि मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि मरने वालों की संख्या 20-25 हजार के बीच हो सकती है। जबकि हजारों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने धमकी दी है कि अगर ईरानी सेना प्रदर्शनकारियों की हत्या करती रहेगी तो अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ेगा।

अवधनामा (4 जनवरी) के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की धमकियों पर तीव्र प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ईरान दुश्मनों के

आगे कभी नहीं झुकेगा। उन्होंने स्वीकार किया कि देश में आर्थिक संकट के कारण अगर व्यापारी हड़ताल करते हैं तो उन्हें गलत नहीं ठहराया जा सकता है। यह सरकार का काम है कि वह इस संकट के समाधान के लिए उचित कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि ईरानी व्यापारी देशभक्त हैं और वे विदेशी एजेंटों के बहकावे में नहीं आएंगे। खामेनेई ने कहा कि कुछ विदेशी एजेंट विरोध प्रदर्शनों की आड़ में इस्लाम, ईरान और इस्लामी शासन के खिलाफ जनता को भड़का रहे हैं। हम ऐसे तत्वों को सख्ती से कुचल देंगे।

उर्दू टाइम्स (15 जनवरी) के अनुसार ईरान के मुख्य न्यायाधीश ने घोषणा की है कि विदेशी एजेंटों के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई के लिए देशभर में विशेष अदालतों का गठन किया जा रहा है। इन अदालतों में सुनवाई करके उन्हें एक सप्ताह के अंदर फांसी पर लटका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम विदेशी एजेंटों के साथ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतेंगे।

उर्दू टाइम्स (5 जनवरी) के अनुसार खामेनेई ने सैनिकों को निर्देश दिया है कि वे देश में अशांति फैलाने वाले विदेशी एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि हम अपनी देशभक्त जनता के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दंगाइयों के साथ बातचीत करने का कोई लाभ नहीं है। उन्हें ऐसी सजा मिलेगी कि भविष्य में किसी भी विदेशी एजेंट को ईरान में अशांति फैलाने की हिम्मत न हो।

उर्दू टाइम्स (14 जनवरी) के अनुसार उग्र प्रदर्शनकारियों ने लगभग डेढ़ हजार मस्जिदों पर हमला करके उनमें आग लगा दी है। इसके अतिरिक्त सरकारी कार्यालयों और दरगाहों पर हमलों में दिन-प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है।

एतेमाद (15 जनवरी) के अनुसार ईरानी रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादेह ने कहा है कि हम खून के आखिरी कतरे तक अपने देश की रक्षा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थाई प्रतिनिधि अमीर सईद इरावानी ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान में सैन्य हस्तक्षेप का बहाना तलाश रहा है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लिखे एक पत्र में कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ईरान में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करके हिंसा भड़का रहे हैं।

एतेमाद (14 जनवरी) के अनुसार ईरान में सरकार के समर्थन में जवाबी प्रदर्शनों का सिलसिला तेज हो गया है। तेहरान में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा है कि ईरानी जनता विदेशी दुश्मनों की साजिशों को मिट्टी में मिला देगी। ईरानी कौम ताकतवर और सचेत है। वह अपने दुश्मनों को पहचानती है और उन्हें तबाह करने का हुनर जानती है।

हमारा समाज (16 जनवरी) ने अपने संपादकीय में ईरान के वर्तमान आर्थिक संकट के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया है। समाचारपत्र ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वह इस्लाम के सबसे बड़े ध्वजवाहक ईरान को तबाह करना

चाहता है, इसलिए इस्लाम की रक्षा के लिए दुनियाभर के मुस्लिम देशों को ईरान का साथ देना चाहिए।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (3 जनवरी) ने अपने संपादकीय में ईरान के घटनाक्रम पर चिंता प्रकट की है। समाचारपत्र ने कहा है कि ईरान में आर्थिक संकट अचानक नहीं आया, बल्कि अमेरिका इस संकट को पैदा करने के लिए लंबे समय से साजिश कर रहा था। बढ़ती महंगाई के कारण नई पीढ़ी सड़क पर उतर आई है और वह वर्तमान इस्लामी व्यवस्था के खिलाफ और राजशाही के पक्ष में नारे लगाने पर मजबूर हो गई है। ईरानी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए इस साल के बजट में 62 प्रतिशत तक कर राजस्व में वृद्धि करने की घोषणा कर चुकी है। समाचारपत्र ने कहा है कि ईरानी जनता अमेरिका और इजरायल के बहकावे में देश में फिर से राजशाही को लागू करने की मांग कर रही है। वह यह भूल गई है कि आज से 47 साल पहले जब ईरान में राजशाही थी तो जनता को उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि पश्चिमी मीडिया आग में घी डाल रहा है ताकि इस बहाने अमेरिका और इजरायल को ईरान की जनता पर अपनी कठपुतली सरकार थोपने का मौका मिल सके।

हिंदुस्तान (14 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि ईरान में हो रहे प्रदर्शनों के पीछे अंतरराष्ट्रीय साजिश है। अमेरिका ईरान को आर्थिक रूप से पंगु बनाने के लिए उन देशों को भी अपना निशाना बना रहा है, जिनके ईरान के साथ व्यापारिक संबंध हैं। ट्रम्प इस बहाने ईरान को दुनिया से अलग-थलग करना चाहते हैं ताकि वे उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकें।

कौमी तंजीम (12 जनवरी) ने अपने संपादकीय में ईरान की गंभीर स्थिति पर चिंता प्रकट की है। समाचारपत्र ने कहा है कि हाल ही में बीबीसी ने जो वीडियो जारी किए हैं उनमें प्रदर्शनकारियों ने अपने चेहरे पर नकाब लगा रखे हैं। इससे साफ है कि इन प्रदर्शनकारियों में विदेशी एजेंट छिपे हुए हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि ईरानी सरकार के खिलाफ जनभावना भड़काई जा रही है। भाड़े के प्रदर्शनकारी सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर रहे हैं। इससे साफ है कि यह खुदा और इस्लाम के खिलाफ जंग है और इसकी एक ही सजा मौत है। समाचारपत्र ने कहा है कि ईरानी सरकार को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

अखबार-ए-मशरिक (14 जनवरी) ने अपने संपादकीय में अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वह जनाक्रोश की ज्वाला भड़काकर ईरान पर कब्जा करना चाहता है। वह अपनी कठपुतली के रूप में पूर्व बादशाह के पुत्र रेजा पहलवी को ईरानी जनता पर थोपना चाहता है।

सूडान में युद्धविराम भंग

इंकलाब (14 जनवरी) के अनुसार उत्तरी अफ्रीकी देश सूडान में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से जो युद्धविराम हुआ था वह अब खतरे में पड़ गया है। पिछले दिनों रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) ने फिर से हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इन हमलों में कम-से-कम 32 लोग मारे गए हैं और 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार आरएसएफ ने मध्य सूडान के सिन्नार राज्य के सिंजा शहर में स्थित एक सैन्य शिविर पर ड्रोन हमले किए। इस हमले में कम-से-कम 27 लोग मारे गए और 73 अन्य घायल हो गए। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि अधिकांश घायलों की स्थिति गंभीर है, इसलिए मरने वालों की संख्या में और भी बढ़ोतरी हो सकती है।

इंकलाब (12 जनवरी) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने सूडान में युद्धविराम भंग होने पर चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि इससे लाखों लोगों के भूख और बीमारी से मरने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार सूडान में दो करोड़ 10 लाख सूडानी नागरिक भुखमरी का शिकार हैं। जबकि एक करोड़ से अधिक लोगों को तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की जरूरत है। इनमें से अधिकांश लोग गृहयुद्ध के दौरान घायल हुए हैं। सूडान में गृहयुद्ध जारी है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री की व्यवस्था करना संभव नहीं है। इस गृहयुद्ध के कारण एक करोड़ 20 लाख लोग बेघर हो चुके हैं और लाखों लोग मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सूडान के पड़ोसी देशों से अपील की है कि वे सूडान से पलायन करने वाले लोगों को मानवीय आधार पर अपने-अपने देशों में शरण दें और उनके लिए अपनी सीमाएं बंद न करें। संयुक्त राष्ट्र ने चिंता प्रकट की है कि सूडान के लिए बार-बार सहायता का अनुरोध किए जाने के बावजूद भी विश्व के विभिन्न देशों का रवैया संवेदनहीन है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने विश्व के देशों से अपील की है कि वे सूडान के गृहयुद्ध से पीड़ित लोगों के लिए अधिक-से-अधिक सहायता उपलब्ध कराएं।

इंकलाब (6 जनवरी) के अनुसार पश्चिमी सूडान के दारफुर क्षेत्र में सूडानी सेना और आरएसएफ के बीच हुई झड़पों में कम-से-कम 114 लोग मारे गए हैं। आरएसएफ ने दावा किया है कि उसकी सेना ने दारफुर शहर और हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया है। जबकि सरकारी सेना ने दावा किया है कि अल-जुरुक क्षेत्र में उसके ड्रोन हमलों में आरएसएफ के 51 सैनिक मारे गए हैं। सरकारी सेना ने यह भी दावा किया है कि इन हमलों में आरएसएफ के कमांडर मोहम्मद हमदान डागालो के परिवार के कई लोग मारे गए हैं। ये लोग अल-जुरुक में रह रहे थे।

चट्टान (6 जनवरी) के अनुसार सूडान में अप्रैल 2023 में गृहयुद्ध की शुरुआत हुई थी। तब सूडानी सशस्त्र बल (एसएएफ) और अर्धसैनिक संगठन रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) के बीच सत्ता पर कब्जे को लेकर सशस्त्र संघर्ष छिड़

गया था। विश्व के विभिन्न देश इस गृहयुद्ध को हवा दे रहे हैं, क्योंकि सूडान में भारी मात्रा में तेल व सोने के भंडार हैं। अरब देशों द्वारा सोने के बदले में आरएसएफ को हथियार बेचे जा रहे हैं। इसके कारण देश की स्थिति दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है।

यमन के प्रधानमंत्री का त्यागपत्र

इंकलाब (17 जनवरी) के अनुसार यमन के प्रधानमंत्री सलेम सालेह बिन ब्रैक ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। अरब मीडिया के अनुसार यमन की प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल (पीएलसी) ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है और उनका उत्तराधिकारी वर्तमान विदेश मंत्री डॉ. शाया मोहसिन अल-जिंदानी को नियुक्त किया गया है। बताया जाता है कि डॉ. अल-जिंदानी को कूटनीति का लंबा अनुभव है। इस सरकार को सऊदी अरब का समर्थन प्राप्त है। इसके अतिरिक्त इसे संयुक्त राष्ट्र से भी मान्यता मिली हुई है। उल्लेखनीय है कि इन दिनों यमन में विभिन्न गुटों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा है। एक गुट को सऊदी अरब का समर्थन प्राप्त है तो दूसरे गुट के तार संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से जुड़े हुए हैं। तीसरे गुट के ईरान के साथ गहरे संबंध हैं।

उर्दू टाइम्स (11 जनवरी) के अनुसार यूएई ने घोषणा की है कि वह यमन से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है।

इंकलाब (4 जनवरी) के अनुसार सऊदी अरब के विमानों ने यमन के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र हद्रामौत के अनेक स्थानों पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में कई लोग मारे गए हैं। यूएई समर्थित दक्षिणी संक्रमणकालीन परिषद (एसटीसी) ने दावा किया है कि इन हमलों के कारण नागरिकों का इस क्षेत्र से पलायन शुरू हो गया है। सऊदी अरब समर्थित पीएलसी सरकार के एक प्रवक्ता ने दावा किया है कि यूएई युद्धविराम समझौते का उल्लंघन करके तेल उत्पादक क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा है। हद्रामौत के गवर्नर सलेम अहमद अल-खानबशी ने एसटीसी से अपील की है कि वह नागरिक क्षेत्रों को निशाना न बनाए। उन्होंने यह भी दावा किया है कि सरकारी सेनाओं ने एसटीसी के अनेक सैन्य शिविरों पर कब्जा कर लिया है।

इंकलाब (3 जनवरी) के अनुसार सऊदी अरब सरकार के एक प्रवक्ता ने ब्रिटिश न्यूज एजेंसी 'रॉयटर्स' को बताया कि दक्षिणी यमन में स्थित अदन हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है। हाल ही में इस हवाई अड्डे पर एसटीसी ने कब्जा कर लिया था। सऊदी अरब समर्थित यमन सरकार के परिवहन मंत्री ने कहा है कि इस हवाई अड्डे को इसलिए बंद किया गया है ताकि यूएई इस क्षेत्र में अपनी सेना को सैन्य सहायता न पहुंचा सके। यमन के सूचना मंत्री मुअम्मर अल-इरियानी ने कहा है कि एसटीसी को यूएई से लगातार सैन्य सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। हम इसे रोकने के लिए दृढ़संकल्प हैं। उन्होंने कहा

कि अगर यूएई की सेना ने तुरंत इस क्षेत्र को खाली नहीं किया और इस क्षेत्र में युद्ध की ज्वाला भड़कती है तो इसके लिए यूएई जिम्मेवार होगा।

इंकलाब (8 जनवरी) के अनुसार सऊदी सरकार ने यमन में सैन्य कार्रवाई की पुष्टि की है। सऊदी सरकार ने आरोप लगाया है कि एसटीसी का प्रमुख ऐदारस अल-जौबैदी सऊदी अरब द्वारा रियाद में आयोजित सम्मेलन में भाग लेने के बजाय किसी अज्ञात स्थान की ओर फरार हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल-जौबैदी ने सऊदी सरकार को सूचित किया था कि वह रियाद में आयोजित सम्मेलन में भाग लेने के लिए अदन से सऊदी अरब आ रहा है, लेकिन वह रास्ते में ही गायब होकर किसी अज्ञात स्थान पर चला गया है। सऊदी सरकार ने आरोप लगाया है कि अल-जौबैदी किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और उसने अपनी सेना को दोबारा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। इस संभावित हमले को रोकने के लिए सऊदी सरकार ने अपने वायुसेना को यमन में फिर से हमले शुरू करने का निर्देश दिया है।

एक अन्य समाचार के अनुसार पीएलसी ने घोषणा की है कि अल-जौबैदी ने रियाद कांफ्रेंस में भाग न लेकर युद्धविराम के प्रयासों को क्षति पहुंचाई है, इसलिए उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा।

हिंदुस्तान (8 जनवरी) के अनुसार सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की अध्यक्षता में सऊदी मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई। इस बैठक में यमन की ताजा स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया। मंत्रिमंडल ने यमनी पीएलसी के प्रमुख रशाद अल-अलीमी के उस अनुरोध का स्वागत किया जिसमें उन्होंने यमन के दक्षिण में सक्रिय सभी गुटों का एक सम्मेलन रियाद में बुलाने की मांग की थी। सऊदी सरकार के एक प्रवक्ता ने दावा किया कि यमन की ताजा स्थिति के बारे में सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान, सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बातचीत की है।

सीरिया में कुर्दों और सरकारी सैनिकों के बीच जंग

इंकलाब (8 जनवरी) के अनुसार दक्षिणी सीरियाई क्षेत्र अलेप्पो (हलब) में सीरियाई सैनिकों और कुर्द विद्रोहियों के बीच हुई झड़प में कम-से-कम पांच लोग मारे गए और कई घायल हो गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर युद्ध की शुरुआत करने का आरोप लगाया है। सरकारी न्यूज एजेंसी 'साना' के अनुसार सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज (एसडीएफ) ने एक सैन्य अधिकारी की हत्या कर दी है। जबकि एक दर्जन लोग घायल हो गए हैं। दूसरी ओर, एसडीएफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखे एक पोस्ट में कहा है कि उसके लड़ाकों ने तोपखाने और मिसाइलों से सरकारी सेना को अपना निशाना बनाया था। सरकार ने

आरोप लगाया है कि कुर्द विद्रोही सरकारी सेना के साथ किए गए समझौते का उल्लंघन कर रहे हैं। इससे इस क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर युद्ध की ज्वाला भड़कने की संभावना है।

कौमी तंजीम (10 जनवरी) के अनुसार तुर्किये ने घोषणा की है कि अगर उससे कहा गया तो वह आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में सीरिया को सहयोग देगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों सीरियाई सेना और कुर्दों के बीच भीषण झड़पों का सिलसिला शुरू हो गया था। तुर्किये ने कहा है कि कुर्द आतंकवादी हैं, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

एक अन्य समाचार के अनुसार सीरिया सरकार ने घोषणा की है कि अलेप्पो और उसके आसपास के क्षेत्रों में सरकारी सेना और कुर्दों के बीच युद्ध छिड़ गई है। एसडीएफ विद्रोही स्थानीय नागरिकों को इस क्षेत्र को छोड़ने से रोक रहे हैं और उन्हें मानवीय ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं।

एतेमाद (12 जनवरी) के अनुसार अलेप्पो क्षेत्र में संघर्ष के बाद एसडीएफ ने इस क्षेत्र को खाली करना शुरू कर दिया है। एसडीएफ के कमांडर मजलूम अब्दी ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के बाद दोनों पक्षों में अस्थाई युद्धविराम हो गया है। यह फैसला इसलिए किया गया है ताकि स्थानीय नागरिक इस क्षेत्र से सुरक्षित निकल सकें। गौरतलब है कि 2011 में सीरिया में गृहयुद्ध छिड़ने के बाद से ही एसडीएफ और सीरिया के सरकारी सैनिकों के बीच संघर्ष जारी है। कुर्दों ने सीरिया के उत्तर-पूर्व में स्थित एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है और वे वहां से अपनी समानांतर सरकार चला रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस युद्ध के कारण एक लाख 40 हजार लोग बेघर हो चुके हैं।

मिस्र में अवैध हज माफिया के खिलाफ कार्रवाई

इंकलाब (11 जनवरी) के अनुसार मिस्र के गृह मंत्रालय ने फर्जी हज कंपनियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी कार्रवाई शुरू की है। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि सरकार को सूचना मिली है कि ये कंपनियां हज और उमरा का झांसा देकर नागरिकों से धोखाधड़ी कर रही हैं। प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने हज व उमरा के नाम पर नागरिकों को लूटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। ताजा जानकारी के अनुसार विभिन्न प्रदेशों में सक्रिय 25 अवैध कंपनियों को बंद कर दिया गया है। इन कंपनियों से संबंधित 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

प्रवक्ता ने कहा कि ये फर्जी कंपनियां अखबारों में विज्ञापन देकर दावा कर रही थीं कि वे सरकार से पंजीकृत हैं, इसलिए हज व उमरा करने के इच्छुक लोग उनसे संपर्क करें। इन कंपनियों ने मासूम नागरिकों से 500 करोड़ रियाल से अधिक की धनराशि लूटी हैं। पुलिस छापों के दौरान इन कंपनियों के कार्यालयों से मोहरें, पासपोर्ट, रसीदें और हज व उमरा के फर्जी वीजा बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 19 अन्य बिना लाइसेंस वाली टूरिस्ट कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और उनके 300 से अधिक कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह से अब तक 44 फर्जी कंपनियों को बंद करवाया गया है। इसके साथ ही मिस्र की सरकार ने मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करने का सिलसिला भी शुरू किया है। इसमें नागरिकों से अपील की गई है कि वे फर्जी कंपनियों के झांसे में न आएं और सिर्फ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से ही हज व उमरा की बुकिंग कराएं। ■

RNI No. DELHIN/2017/72722

उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

आर.एस.एस. के शीर्ष नेतृत्व के बयान पर उर्दू मीडिया की प्रतिक्रिया

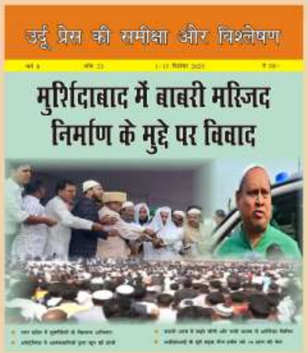
उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण के मुद्दे पर विवाद

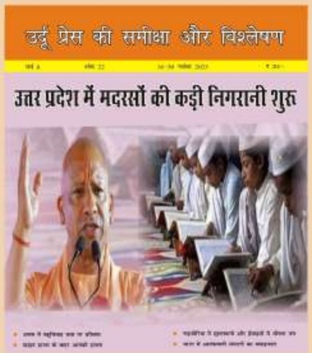
उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

उत्तर प्रदेश में मदरसों की कड़ी निगरानी शुरू

उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

बिहार चुनाव में उर्दू मीडिया का भाजपा विरोधी अभियान धराशायी

उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

बिहार विधानसभा चुनाव में उर्दू अखबारों की भूमिका

उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

भारत-अफगानिस्तान संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत

उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का प्रयास

उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वक्फ अधिनियम पर रोक लगाने से इनकार

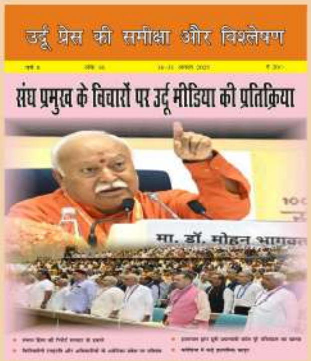
उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

संघ प्रमुख के विचारों पर उर्दू मीडिया की प्रतिक्रिया

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-79687620
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in